यह निरीक्षण प्रतिवेदन <u>कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश</u> द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश</u> के माह मई 2015 से जनवरी 2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामबीर संह तथा श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2018 से 08 फरवरी 2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में दिनांक: 01 फरवरी 2018 से 08 फरवरी 2018 तक सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

<u>परिचयात्मकः</u> इस खण्ड की वगत लेखापरीक्षा सर्वश्री श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28/05/2015 से 04/06/2015 तक में सम्पन्न हुयी थी जिसमें खण्ड के माह 08/2011 से 04/2015 तक के लेखा भलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 01/2018 तक के लेखा भलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

(ii) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः खण्ड द्वारा टिहरी बांध परियोजना सम्बन्धी कार्य एवं वस्था पतों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्य कए जाते है।

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`		
2014-15	-	109.16	384.24	383.24	DCL-85.00 AR-4.40	146.53 4.24	-	DCL-47.63 AR-.0.16 स्थापना-1.16
2015-16	-	47.63	413.10	393.86	DCL-40.41 AR-6.32	73.97 6.25	-	DCL-14.06 AR-0.06 स्थापना-19.24
2016-17	-	14.06	429.99	378.35	DCL-320.43 AR-11.33	274.78 11.32	-	DCL-59.71 AR-0.008 स्थापना-51.63
2017-18 **(01/2018** तक)	-	59.71	442.48	378.43	DCL-381.37 AR-3.97	186.80 3.94	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	आ धक्य	बचत
2014-15	-	-	शून्य	शून्य	-	-
2015-16			शून्य	शून्य	-	-
2016-17	-	-	शून्य	शून्य	-	-
2016-17 **(01/2018** तक)	-	-	शून्य	- शून्य	-	-

(iv) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ब श्रेणी की है।

स चव संचाई वभाग, उत्तराखंड

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अ भयन्ता,स्तर-**II**, हरिद्वार

अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य(पुनर्वास) मण्डल ऋ षकेश

अ धशासी अ भयन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अवस्थापना(पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश के माह मई 2015 से जनवरी 2018 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यो को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अवस्थापना(पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह `अगस्त 2016 एवं जनवरी 2018 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया तथा जनपद हरिद्वार के पथरी मे सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य

योजना का चयन वस्तृत वश्लेषण हेतु कया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उस पर लेखापरीक्षा अव धि तक कए गए व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव धि में माह - मे निरक्षण कया गया है ।
2. खण्ड के भण्डार लेखों की लेखाबन्दी 09/2017तक तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्द्धवा र्षक/वा र्षक लेखाबन्दी सतम्बर 2017 तक की गई।
3. फार्म 51: माह जनवरी 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत है:-

   भाग प्रथम ` 1186312.86

   भाग द् वतीय ` 332278.00
4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह जनवरी 2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम	` 16692080.00
(ख)	सामग्री क्रय	` 696554.00
(ग)	नगद परिशोधन	-
(घ)	निक्षेप	` 17577508.60
(ङ)	भण्डार	` (-)2459415 5.00

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1: धनरा श ` 1.65 करोड़ की वसूली/समयोजन लम्बित रहना ।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार व वध अ ग्रम को निम्न चार श्रे णयों मे वभाजित कया गया है (1) उधार वक्रय (2) डपॉजिट मद मे प्राप्त रा श से अ धक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे , कसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अ धकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य वभागो के वरुद्ध व वध अ ग्रम डाला जाता है एवं वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे व वध अ ग्रम की धनरा श की वास्त वक वसूली की जानी चाहिए या कसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अ धकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक व वध अ ग्रम लेखे से न हटाया जाए तथा प्रकीर्ण अ ग्रम पंजिका प्रपत्र-67 में लेखावद्ध रा शयों का यथा शीघ्र समायोजन अथवा वसूल कर दिया जाना चाहिएं।

अ धशासी अ भयन्ता अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड ऋ षकेश के तत्सम्बन्धी अ भलेखों की जॉच में देखा गया क खण्ड द्वारा माह जनवरी 2018 तक उत्तराखण्ड राज्य से पूर्व ` 103,715.00 की रा श तथा उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के उपरान्त ` 165,88364.00 कुल धनरा श ` 1,66,92,080.00 की रा श वसूली/समयोजन हेतु वगत कई वर्षो से लेखाबद्ध की गयी थी, जिनमें से ` 1.65 करोड़ की धनरा श खण्डों /फर्मो/वभागों के नाम वर्ष 2001 से वर्ष 2008 तक व वध अ ग्रम के रूप मे डाली गयी थी, जो यथावत पड़ी थी।

लेखा परीक्षा द्वार प्रकरण इं गत करने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क अवशेष प्रकीर्ण रा शयों के समायोजन हेतु पत्राचार चल रहा है, अंतिम नोटिस संबं धतों को दिया जा रहा है।पुराने अवशेषो को राजस्व लेखाशीर्षक के अंतर्गत लेखाकृत करने की शघ्राशीघ्र कार्यवाही चल रही है।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्यों क रा शयॉ वगत 10 से 18 वर्षी से वसूली/समायोजन हेतु लंबित थी, जिसकी अभी तक वसूली/समायोजन कया जाना चाहिए था। उक्त बिन्दु वगत लेखापरीक्षा मे भी इं गत कया गया था, कन्तु खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा ति थ तक कोई भी कार्यवाही नही की गयी तथा न ही खण्ड द्वारा वसूली/समायोजन हेतु की गयी कार्यवाही एवं पत्राचार सम्बन्धी कोई भी अ भलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कया गया।

अतः ` 1.65 करोड़ की वसूली/समयोजन लंबित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2- धनरा श 245.94 लाख का ऋणात्मक स्टॉक/भण्डार।

वत्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- IV के पैरा 195 व पैरा 213 (अ एवं ब) के अनुसार, भण्डार का उपभाग व साम ग्रयों की उ चत जिम्मेदारी आदि कार्य खण्ड अ धकारी द्वारा स्टोर कीपर को सौंपे जाते है, साथ ही साथ भण्डार के संदर्भ में खाते का लेखा-जोखा भी उसके संरक्षण में निहित होता है। यदि भण्डार लेखे के सम्बन्ध में कोई अशुद् ध परिल क्षत होती है तो मा सक खाता बन्द करने के पूर्व उपअनुभाग अथवा अनुभाग/खण्ड अ धकारी द्वारा ऐसी अशुद् ध को ठीक कया जा सकता है। ऐसी त्रुटियाँ जो बाद में प्रकाश में आती है, अनौपचारिक स्थानानत्रण अथवा अनुभाग कार्यालय के अधीन अपनाये गये निर्देशों के अनुरूप ही सुधारी जा सकती है।

अ धशासी अ भयन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश के माह 03/2017 के मा सक लेखे की जांच के दौरान संज्ञान में आया क खण्ड के फार्म-73 भण्डार लेखे में धनरा श ₹245.94 लाख का ऋणात्मक आ ग्रम शेष था जो माह फरवरी 2015 से निरन्तर वद्यमान था जब क वभाग/खण्ड की स्टॉक पंजिका (4-एस पंजिका) में ऐसा कोई शेष नहीं था। भण्डार पंजिका का उ चत रखरखाव न कये जाने के कारण सम्प्रेक्षा में ज्ञात नहीं कया जा सका क भण्डार में ऋणात्मक शेष के कारण क्या थे जब क सामान्यता; भौतिक रूप में भण्डार का ऋणात्मक शेष संभव नही है। एक लम्बी अव ध तक भण्डार खाते में ऋणात्मक शेष खण्ड की उदासीन कार्य प्रणाली को उजागर करता है।

इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क इस खण्ड में कई वघटित खण्डों का पूर्व में समायोजन/वलय कया गया था तथा वघटित खण्डों के स्टॉक से सम्बन्धित अ भलेख भी इस खण्ड को हस्तान्तरित हुए थे जिसके कारण व लेखे में भ्रान्तिवश क्रे डट-डेबिट में सही लेखाकन न करने के कारण उक्त ऋणात्मक शेष था जिसे सही करनें की कार्यवाही जारी है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क भण्डार लेखों में त्रुटियों का निवारण यथा शीघ्र कया जाता चाहिए था।

अत प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1**: ` **41.16** लाख की धन रा श को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में जमा न कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 622(III) में निहित प्रावधान के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से अ धक समायाव ध की अदा वत (unclaimed) धनरा श को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते मे डाल दी जानी चाहिए।

अ धशासी अ भयंता अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश के अ भलेखों की नमूना जांच (जनवरी- 2018) में पाया गया क निक्षेप पंजिका के भाग-दो में वगत 25 से लेकर 30 वर्षों की अव ध से कुल `41.16 लाख की अदा वत धनरा श ठेकेदारों की जमानत जमा एवं अतिरिक्त निक्षेप के रूप में पड़ी थी। जिसका दावा ठेकेदारों द्वारा लेखापरीक्षा ति थ तक नहीं कया गया था। वत्तीय हस्त पुस्तिका में निहित प्रावधान के अनुसार उक्त धनरा श व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते मे डाल दी जानी चाहिए थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क ठेकेदारों द्वारा जमानत रा श वा पस कए जाने हेतु प्रार्थना पत्र खण्ड को प्राप्त नही हुए है तथा इस सम्बन्ध मे ठेकेदारों को पत्र लखे जा रहे है ।

लेखा परीक्षा में उत्तर मान्य नहीं था क्यों क वत्तीय नियमानुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से अ धक समायाव ध की अदा वत (unclaimed) धनरा श को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते मे डाल दी जानी चाहिए थी एवं वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 623 में निहित प्रावधान के अनुसार ही व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते मे डाली गयी धनरा श की वापसी हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः `41.16 लाख की धनरा श को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में जमा न करने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्र0सं0	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित कण्डिकाएं	
		भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'
1.	28/2002-03	1	1,2
2.	09/2004-05	1	1
3.	112/2004-05	-	1
4.	02/2007-08	-	1,2
5.	37/2009-10	-	2,3
6.	42/2011-12	-	1,2
7.	20/2015-16		1,2

Note:- Kindly check the details of outstanding paras from headquarters' record.

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		उपरोक्त प्रस्तरों का प्रथम उत्तर पूर्व में ही महालेखाकार (ले.प.) उत्तराखण्ड को प्रे षत कया जा चुका है।		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलो कत नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. अप्रस्तुत अ भलेख: शून्य

3. सतत् अनिय मतताएः शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धशासी अ भयन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	संजय श्रीवास्तव	अ धशासी अ भयन्ता	वगत लेखापरीक्षा से 08/09/2015 तक
2.	श्री रामगोपाल यादव	अ धशासी अ भयन्ता	दिनांक 08/09/2015 से 27/04/2017 तक
3.	श्री शरद श्रीवास्तव	अ धशासी अ भयन्ता	दिनांक 28/04/2017 से 02/06/2017 तक
4.	श्री रामगोपाल यादव	अ धशासी अ भयन्ता	दिनांक 03/06/2017 से 27/06/2017 तक
5.	श्री रमेश कुमार गुप्ता	अ धशासी अ भयन्ता	दिनांक 27/06/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋ षकेश को इस आशय से प्रे षत है क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑ फस-कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

व.लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक क्षेत्र-2